तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 17/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

14–5–2025

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) ओटाराम पुत्र देवाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स शिव किराणा स्टोर, गणपति चौक, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 (दो) भूपेन्द्र गोयल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराइटर, मैसर्स मधुर ट्रेडर्स, नगर पालिका रोड़, सुमेरपुर, जिला– पाली एवं प्रतिवादी संख्या–3 (तीन) लखपत राज गांधी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के सामने, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह उपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 23–01–2024 को फर्म शिव किराणा स्टोर, गणपति चौक, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता ओटाराम पुत्र देवाराम जी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Nova brand) का नमूना संख्या S-2289 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./132/Act/2024/178 दिनांक 08–2–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या–1 (एक) ओटाराम ने इस न्यायालय में दिनांक 19–3–2025 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमशः भूपेन्द्र गोयल व लखपत राज गांधी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह उपस्थित हुये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 09–5–2025 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमशः भूपेन्द्र गोयल व लखपत राज गांधी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमशः भूपेन्द्र गोयल व लखपत राज गांधी की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता को दिनांक 09–5–2025 को ही सुना गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का यह प्रथम अपराध है व भविष्य में ऐसी अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेंगे। अतः कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 17/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 23–01–2024 को समय 2–00 पी.एम. पर मैसर्स शिव किराणा स्टोर, गणपति चौक, जनापुर, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। मैसर्स शिव किराणा स्टोर, गणपित चौक, जनापुर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी ओटाराम पुत्र देवाराम जी घांची, निवासी– जनापुर उपस्थित मिले, जो मैसर्स शिव किराणा स्टोर, गणपति चौक, जनापुर में खाद्य पदार्थ Ghee (Nova brand) का आम जनता को विक्रय करता है। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स शिव किराणा स्टोर, गणपति चौक, जनापुर के निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Ghee (Nova brand) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता ओटाराम पुत्र देवाराम जी घांची को गवाह श्री श्रवण सिंह देवड़ा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म शिव किराणा स्टोर, गणपति चौक, जनापुर की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Nova brand) के 12 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ Ghee (Nova brand) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ Ghee (Nova brand) की कीमत राशि रुपये 1100/– (अक्षरे रुपये एक हजार एक सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता ओटाराम पुत्र देवाराम जी घांची को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2289, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Nova Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी ओटाराम पुत्र देवाराम जी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के 500–500 एम.एल. के खरीदशुदा चारों नमूना पैकेटों पर पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2289 को उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता ओटाराम पुत्र देवाराम जी घांची व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता ओटाराम पुत्र देवाराम जी घांची व उक्त गवाह तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 17/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29–1–2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 23–01–2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म शिव किराणा स्टोर, गणपति चौक, जनापुर, तहसील– पिण्ड्वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता ओटाराम पुत्र देवाराम जी घांची से खाद्य पदार्थ Ghee (Nova Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैक्टो (नमूना संख्या S-2289) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Ghee (Nova Brand) के नमूना संख्यां S-2289 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./132/Act/2024/178 दिनांक 08–2–2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ Ghee (Nova Brand) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स शिव किराणा स्टोर, गणपति चौक, जनापुर द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Nova Brand) के 500–500 पैक्ड पैकेटो को फर्म मधुर ट्रेडर्स, नगर पालिका रोड़, सुमेरपुर, जिला– पाली से जरिये बिल इनवोईस नम्बर GST/23-24/16030 दिनांक 13–1–2024 से क्रय किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 2 (भूपेन्द्र गोयल) की प्रोपराईटरी फर्म है एवं प्रतिवादी संख्या 2 (भूपेन्द्र गोयल) की फर्म मधुर ट्रेडर्स, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Nova Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटो को फर्म गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के सामने, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली से जरिये टेक्स इनवोईस नम्बर GST/23-24/7018 दिनांक 05–1–2024 से क्रय किया गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 (लखपत राज गांधी), खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के सामने, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली द्वारा द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Nova Brand) (नमूना संख्या S-2289) के 500–500 एम.एल. के .....लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 17/2025	नंबर व तारिख ... जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

पैक्ड पैकेटों का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः ओटाराम व भूपेन्द्र गोयल को दोषमुक्त करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Nova Brand) (नमूना संख्या S-2289) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों के विक्रय हेतु प्रतिवादी प्रतिवादी लखपत राज गांधी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के सामने, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी लखपत राज गांधी को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी लखपत राज गांधी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 13–6–2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)